



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ09004

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : RAJ/CHT/LST-3 Vol-IV

दिनांक : 14.01.2021

प्रेषित : मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स,
(जेके सीमेंट लिमिटेड की इकाई),
कैलाश नगर- 312617

निम्बाहेरा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

Email- manish.toshniwal@jkcement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Mangrol Tilakhera Limestone Mine** (M.L. No. 7/97, Lease area 299.2 Hect.) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 21.12.2020 by the undersigned in presence of Shri L.S. Pohkarna, Mine Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations were carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (approved on 03.01.2019) for the year 2019-20: - (i) During the year 2019-20 exploration was proposed by drilling of 9 bore holes (585m) but during this year drilling of 04 bore holes (203m) has been carried out. It shows the shortfall in exploration drilling.
Rule 26 (2)	A yearly report to be submitted before 1 st July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has not been submitted to this office for the year 2019-20.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़।
- 3 रक्षित पत्रावली।

भारतीय
14/01/2021
(डी. आर. गुजर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो